(ख) यदि हां, तो उस का हेडक्वार्टर कहां होगा ; और

(ग) उस का क्षेत्राधिकार कहां तक होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे के मुक़दमे सुनने के लिये पश्चिम रेलवे के रतलाम डिस्ट्रिक्ट में दो मजिस्ट्रेट हैं। इन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति रेलवे द्वारा नहीं बम्बई और मध्य भारत की सरकारों द्वारा की गई है ।

(ख) एक मजिस्ट्रेट का सदर मुकाम गोधरा है और दूसरे का इन्दौर ।

(ग) गोधरा के मजिस्ट्रेट का अधिकार-क्षेत्र बड़ौदा से अनास तक है और इन्दौर के मजिस्ट्रेट का अनास से शामगढ़ तक, पश्चिम रेलवे का नागदा-उज्जैन सेक्शन भी इन्दौर के मजिस्ट्रेट के अधिकार-क्षेत्र में है ।

रेलवे कर्मचारी

१११९. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों की एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तर करने के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब कार्यान्वित की जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं । लेकिन सभी रेलों को आम हिदायत है कि जो रेलवे कर्मचारी जनता के सम्पर्क में आते हैं उन्हें एक स्टेशन पर पांच साल से अधिक न रखा जाय ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।